/गोपनीय/ पत्र संख्या ए/न-पौल- 1701 /

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग ।

प्रेषक,

श्री आर० श्रीनिवासन,
मुख्य सचिव, बिहार ।

प्रेषित,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 21 वी सितम्बर, 1987 ई० ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि इस राज्यान्तर्गत आतंकवादी/उग्रवाद/जातीय विरोधभाव के चलते हमले की घटनायें घटित होती रही है और ऐसे हमलों के शिकार निर्दोष व्यक्ति तथा उनके आश्रित होते हैं। कभी-कभी तो समूचा परिवार ही समाप्त प्राय हो जाता हैं। ऐसी परिस्थिति में कल्याणकारी राज्य की सरकार होने के नाते आतंकवादी/उग्रवादी/ जातीय हमलों से प्रभावित एवं उनके आश्रितों को राहत/अनुग्रह अनुदान एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार तो सदा से प्रयत्नशील रही है, साथ ही गया जिला के अरवल थाना में घटित उग्रवादी घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितो /घायलों को अनुग्रह अनुदान देने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने भी अपना निर्णय दिया था। पुन: पिछले दिनों औरंगाबाद जिला के मदनपुर थानान्तर्गत बघौरा एवं दलेलचक ग्राम में घटित उग्रवादी घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायलों को अनुग्रह अनुदान देने के संबंध में राज्य सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लियाहै। इस प्रकार सभी पहलुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त किसी भी तरह के आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय हमले से प्रभावित व्यक्तियों (Victims) को निम्नांकित सहायता देने का निर्णय लिया गया है :-

-: अनुग्रह अनुदान :-

1. मृत/घायल व्यक्तियों के लिए अनुग्रह अनुदान :-

(क) मृत होने की स्थिति में प्रत्येक मृतक के आश्रित को 20,000/=(बीस हजार)रूपये।

नोट:- स्थायी रूप से लापता व्यक्ति जिसे समुचित जाँचोपरान्त मृत मान लिया गया हो उसके आश्रितों को भी उपर्युक्त अनुदान देय होगा ।

(ख) स्थायी रूप से अपंग के लिए प्रत्येक व्यक्ति 5,000/=(पाँच हजार)रूपये ।

(ग) गम्भीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति के लिए 500/=रू० से 1000/=रू० ।

(घ) कंडिका-1 में वर्णित सहायता/अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान करने की शक्ति संबंधित जिला पदाधिकारी को दी जाती है।

2. आतंकवादी/उग्रवादी/ जातीय हमले में क्षतिग्रस्त भवनों (आवासीय/ व्यापारिक परिसर/आदि स्थल के लिए अनुदान :-

(क) पूर्ण रूप से नष्ट होने पर 15,000/=रूपये तक (शहरी क्षेत्र के लिए)
10,000/=रूपये तक ग्रामीण क्षेत्र के लिये।

(ख) गंभीर क्षति होने पर 7,500/-रू0 तक (शहरी क्षेत्र के लिये)
5,000/=रू0 तक (ग्रामीण क्षेत्र के लिये।

(ग) मामूली क्षति होने पर 2,000/-रू0 तक (क्षति के परिमाण एवं मूल्यांकन के आधार पर)

लेकिन जिस भवन का बीमा हुआ हो और उसे बीमा कंपनियों से क्षतिपूर्त्ति मिलने वाली हो, उसके लिए उपर्युक्त अनुदान नहीं दिया जायगा।

(II) जो भवन लोक भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया हो उसके लिए भी उपर्युक्त अनुदान देय नहीं होगा।

3. चल सम्पत्ति की क्षति के लिए अनुदान :-

यदि किसी व्यक्ति की घरेलू सामग्री आतंक में नष्ट हो गयी हो या अन्य चल सम्पत्ति बरबाद हो गयी हो या लूट लिये गये हों तो वैसी स्थिति में जिलाधिकारी प्रत्येक परिवार के लिए समुचित जांचोपरान्त 2,000/=रूपये तक अनुदान स्वीकृत कर सकेंगें।

4. आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय हमले से प्रभावित परिवारों के विद्यार्थियों को अनुदान की स्वीकृति :-

आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय हमले से प्रभावित परिवारों के विद्यार्थियों की सहायता के लिये भी अनुदान की सुविधा दी जायगी ताकि उनकी शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं हो। यह उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगा जिनके अभिभावकों की सभी स्रोतों से मिलाकर सालाना आमदनी 5,000/=रू0(छः हजार)रूपये से कम होगी। इस अनुदान की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्नांकित वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाती है :-

(1) अनुमंडल पदाधिकारी 200/=रू0 तक प्रति विद्यार्थी।

(2) जिला पदाधिकारी 500/=रू0 तक प्रति विद्यार्थी।

विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपर्युक्त सीमा के अन्दर, समुचित अनुदान की राशि जिलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी अपने विवेक से निश्चित करेंगें।

घायल व्यक्तियों की चिकित्सा ।

हमले में घायल व्यक्तियों की समुचित एवं त्वरित चिकित्सा एक अत्यावश्यक पहलू है। घायलों
को तुरंत अस्पताल पहुँचाने हेतु जिलाधिकारी किसी भी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभागों के
पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा वाहनों की सेवायें आवश्यकतानुसार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही
चिकित्सा के संबंध में वे यथोचित आदेश जिला चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन को दे सकते
हैं। दंगे की आपातृ स्थिति में जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन आवश्यकतानुसार खुले बाजार से
दवाएं क्रय कर सकेंगें ।

अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला चिकित्सा पदाधिकारी के प्रमाण-पत्र पर
विभिन्न पदाधिकारियों को चिकित्सा अनुदान स्वीकृत करने हेतु निम्नांकित मापदण्ड से
वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाती है :-

(क) अनुमंडल पदाधिकारी 100/-रूपये तक प्रति घायल व्यक्ति ।

(ख) जिलाधिकारी 200/-रूपये तक प्रति घायल व्यक्ति ।

6. उपर्युक्त अनुदान के वितरण में किसी तरह की गड़-बड़ी अथवा अस्तव्यस्तता नहीं हो, इसके
लिये आवश्यक है कि इसका अभिलेख एवं सभी का पूर्ण ब्यौरा केन्द्रित रूप से जिला कार्यालय में
रखा जाय । अतएव किसी भी आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय हमले में पीड़ित व्यक्तियों का पूर्ण
सर्वेक्षण तुरत पूरा कर लिया जाय एवं हरेक मामले में उनसे या उनके आश्रितों से आवेदन-प्राप्त कर
केस रेकार्ड खोला जाय । यह कार्य शान्ति कायम हो जाने के तीन दिनों के अन्दर आरम्भ कर
दिया जाय एवं सात दिनों के अन्दर गृह (विशेष) विभाग को तत्संबंधी सूचना भेज दी जाय । केस
रेकार्ड में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पुलिस केस के एफ0 आई0 आर0 आदि की प्रतिलिपि होनी
चाहिए । चूंकि पुलिस द्वारा अनुसंधान पूरा होने में समय लग सकता है और तब तक अनुग्रह अनुदान
के भुगतान के लिए प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है, इसलिए यह आवश्यक है कि हरेक मामले में एक
वरीय पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन भी रहे ताकि दंगा में पीड़ित होने का या क्षति का एक
स्वतंत्र मूल्यांकण भी हो जो सहज उपलब्ध हो ।

7. अनुग्रह अनुदान जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा जिसका भुगतान उचित
पहचान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति को राशि रूप में अथवा बैंक/
डाकघर में उनके खाता के माध्यम से किया जाय । [illegible]

(शिविर की व्यवस्था/आकस्मिक खर्च आदि । पीड़ित व्यक्तियों का निष्क्रमण एवं विसर्जन ।

8. आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय हमले से पीड़ित व्यक्तियों का निष्क्रमण एवं विसर्जन । आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय हमले से प्रभावित परिवारों को आरम्भ में प्रभावित स्थल से
... आतंकवादी/जातीय हमले से प्रभावित ... जाने पर भेजने हेतु अनुमंडल

9. शिविर में भोजन व्यवस्था ।

शिविर में रहनेवाले विस्थापित परिवार को निम्नांकित मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक दिन राशन उपलब्ध कराया जाय ।

सामान का नाम	प्रति वयस्क	प्रति बच्चा
चना	50 ग्राम	25 ग्राम
चावल	150 ग्राम	100 ग्राम
दाल	25 ग्राम	15 ग्राम
चूड़ा	100 ग्राम	50 ग्राम
गुड़	20 ग्राम	10 ग्राम

10. इसके अतिरिक्त मसाला नमक आदि के लिए प्रत्येक वयस्क व्यक्ति एक रुपये एवं प्रत्येक बच्चे को 50 पैसे प्रति सप्ताह की दर से राशि की स्वीकृति एवं व्यय करने की शक्तियाँ अनुमंडल पदाधिकारी को प्रदान की जाती है ।

अन्य आकस्मिक खर्च

11. इस मद में मकान भाड़ा रोशनी की व्यवस्था, बर्तन ईंधन आदि पर हुए खर्च की स्वीकृति देने की शक्तियाँ निम्नलिखित ढंग से प्रदत्त की जाती है :-

(क) अनुमंडल पदाधिकारी- 100/-रुपये तक प्रति परिवार,

(ख) जिलाधिकारी 200/-रुपये तक प्रति परिवार

12- शिविर छोड़ने के अवसर पर मुफ्त राशन की व्यवस्था

शिविर छोड़कर अपने घरों को लौट रहे प्रत्येक परिवार को शिविर छोड़ते समय एक सप्ताह तक मुफ्त राशन देने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है। यह मुफ्त राशन उपर्युक्त कंडिका-8 में वर्णित मापदण्ड के अनुसार ही देय होगा ।

सामान्य

13- यह सबसे आवश्यक है कि हमले में पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार [illegible] व्यवस्था या अनुग्रह अनुदान का वितरण त्वरित रूप से प्रारंभ हो जाय। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि सभी मामले में समुचित छानबीन की जाय ताकि राहत-वितरण में किसी तरह की गड़-बड़ी नहीं हो ।

14- कई मामलों में यदि प्रभावित वर्ग व्यापारी समुदाय के हों जिनको किसी बैंक के माध्यम से कारोबार हो, तो उन्हें अपने व्यवसाय में पुनः स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण दिलाने में जिला प्रशासन पूरी पहल करें ।

15- जहाँ प्रभावित व्यक्तियों को बीमा कंपनियों से कुछ दावे का भुगतान होने वाला हो, उसका त्वरित निष्पादन भी जिलापदाधिकारी बीमा कंपनियों से संपर्क कर करायें ।

16- इस विषय पर सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत सभी आदेश निरस्त समझे जायं ।

17- स्पष्टतः, उपर्युक्त मदों के लिए पूर्व से कोई राशि आवंटित नहीं की जा सकती है। आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी। निधि पूर्ववत: बजट शीर्ष 2235 के अधीन साहाय्य विभाग द्वारा आवंटित की जायगी। लेकिन, चूँकि विधि-व्यवस्था गृह (विशेष) विभाग का विषय है, इसलिए आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय के संबंध में राहत के लिये नोडल विभाग गृह (विशेष) विभाग होगा। जहां से नीति-विषयक सभी मार्गदर्शन निर्गत किये जायेंगे एवं राहत कार्यों की मौनिटरिंग की जाएगी ।

18- यह आदेश इस राज्यान्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन,

(आर० श्रीनिवासन),
मुख्य सचिव, बिहार ।

ज्ञाप संख्या- 1901 / पटना, दिनांक 21 सितम्बर, 1987 ई० ।

प्रतिलिपि साहाय्य आयुक्त
वित्त आयुक्त
स्वास्थ्य आयुक्त
शिक्षा आयुक्त

को सूचनार्थ प्रेषित ।

(आर० श्रीनिवासन),
मुख्य सचिव, बिहार ।

ज्ञाप संख्या- 1901 / पटना, दिनांक 21 सितम्बर, 1987 ई०।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(आर० श्रीनिवासन),
मुख्य सचिव, बिहार ।

ज्ञाप संख्या- 1901 / पटना, दिनांक 21 सितम्बर, 1987 ई०।

प्रतिलिपि महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार
आरक्षी महानिरीक्षक, विशेष शाखा
सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक
सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक
सभी आरक्षी अधीक्षक

को सूचनार्थ प्रेषित ।

(आर० श्रीनिवासन),
मुख्य सचिव, बिहार ।